अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सं0सं0–निग/सारा (निगम) अभि0–03/2024 **पटना, दिनांक :–**

आदेश

चूँकि पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का यह समाधान हो गया है कि आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या– 06/2014 दिनांक 06.02.2014 धारा–13 (2) सहपठित धारा–13 (1)(e) संशोधित धारा–13 (2) सहपठित धारा–13(1)(b) भ्र0नि0अ0, 1988 के तहत नामजद अभियुक्त श्री सुनील कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना सम्प्रति सेवानिवृत पिता–स्व० हरि प्रसाद यादव, हरि पार्वती निवास, मोहल्ला–गोदावरी, चूना भट्टा, थाना–सिविल लाइन, जिला–गया, वर्त्तमान पता–फ्लैट नं0–501, पार्वती पैलेश, सिद्धार्थ नगर, रूपसपुर, जिला–पटना द्वारा रू0 1,20,70,597/– (एक करोड़ बीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ संतानवे रूपये) आय से अधिक परिसम्पत्तियाँ अर्जित करने जैसे गंभीर अनियमितता/कदाचार के लिए उनके विरूद्ध उपर्युक्त धारा के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

और चूँकि कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध, जो राज्य सरकार/विभाग की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है।

और चूँकि श्री सुनील कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना सम्प्रति सेवानिवृत, ऐसे लोक सेवक है जिन्हें विभाग की मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते है और यह अभिकथित है कि उन्होने अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के धारा–218 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुनील कुमार के विरूद्ध धारा–13 (2) सहपठित धारा–13 (1)(e) संशोधित धारा–13 (2) सहपठित धारा–13(1)(b) भ्र0नि0अ0, 1988 के अधीन अपराधों के लिए माननीय न्यायालय में अभियोजन चलाने हेतु भ्र०नि०अधि० 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा–19 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस विषय पर पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक–6669 (ई) दिनांक–25.09.2025 को एतद द्वारा अधिक्रान्त किया जाता है।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मु0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–निग/सारा (निगम) अभि0–03/2024 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–5063 दिनांक–08.07.2024 एवं पत्रांक–5488 दिनांक–14.08.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मु0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मु0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–निग/सारा (निगम) अभि0–03/2024 377(E) **पटना,दिनांक :–** 19/01/2026

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय **web-site** पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

19/01/26

अभियंता प्रमुख (मु0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH